

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundary Wall Under Ground Drain, Guest House Electric, Railing, Kota Stone, Tiles, Mossaic Tiles, Main Gate and Paver Block Work in BMP 10 Talab Ground के निर्माण हेतु कुल राशि रु० 171.09240 लाख (एक करोड़ इक्कहतर लाख नौ हजार दो सौ चालीस रु०) मात्र का योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत तत्काल कुल राशि रु० 165.39875 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख उनचालीस हजार आठ सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना का पत्रांक-5460 दिनांक-29.03.2025 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundary Wall Under Ground Drain, Guest House Electric, Railing, Kota Stone, Tiles, Mossaic Tiles, Main Gate and Paver Block Work in BMP 10 Talab Ground के निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं निधि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०-87, दिनांक-07.05.2025 द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत तत्काल कुल राशि रु० 03.00 लाख (तीन लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई है। राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की मांग नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना का पत्रांक-43 दिनांक-02.01.2026 द्वारा की गई है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित राशि रु० राशि रु० 165.39875 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख उनचालीस हजार आठ सौ पचहत्तर रु०) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व मे आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत कुल राशि(6-7)	अवशेष राशि(6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, पटना	नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundary Wall Under Ground Drain, Guest House Electric, Railing, Kota Stone, Tiles, Mossaic Tiles, Main Gate and Paver Block Work in BMP 10 Talab Ground के निर्माण हेतु।	87 / 07.05.2025	171.09240	168.39875	3.00	165.39875	0

John

3. उक्त स्वीकृत राशि रू० 165.39875 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख उनचालीस हजार आठ सौ पचहत्तर रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक- 950, दिनांक- 12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता सं०-PTCPLA021 तथा HOA- 00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।
4. उक्त स्वीकृत राशि रू० रू० 165.39875 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख उनचालीस हजार आठ सौ पचहत्तर रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217011910109, विषय शीर्ष-0109.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
5. उक्त योजना के कार्यान्वयन नगर निगम, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-87, दिनांक-07.05.2025 में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।
6. बिहार कोषागार सहित के नियम-286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/ना०सु०-12-21/2026 के पृष्ठ सं०-08/टि० पर दिनांक-20.01.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-11/टि० पर दिनांक-05.02.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/ना०सु०-12-21/2026 480 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/2/26

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।